Sahitya Samhita ISSN 2454-2695
Peer Reviewed Hindi Journal Vol 05 Issue 11 November 2019

मानवाधिकार की अवधारणा और वैश्विक स्वरूप

भरतवैष्णव, (शोधार्थी)
डॉ. अनूपप्रधान, (शोध पर्यवेक्षक)

भूमिका–

प्रारंभ से ही मनुष्य मुख्यतः मानव–कर्तव्यों की छाया में जीता था।आज का आदमी मुख्यतः मानव–अधिकारों की छाया में जीता है।अधिकारों की यह फैलती हुई चेतनामानव–स्वतन्त्रता का एक नया रोमांचक अध्याय है।किसी भी देश के सभ्य और सुसंस्कृत होने की कसौटी अब यह नहीं रही कि वह कितना अमीर या बलशाली है।कसौटी यह है कि वहाँ मानवअधिकारों का कितना सम्मान होताहै। यह दुर्भाग्य पूर्णहैकि शीतयुद्ध के दौरान मानव अधिकर आन्दोलन पर अमेरिका तथा मध्य यूरोप की विश्वराजनीति का जा`ग्रहण लगा था, उसकी छाया अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।इसक`बावजूद मानवअधिकारों की चेतना व्यापक होती जा रहीहै और उनका दर्शन ज्यादा गहरा तथा प्रमाणिक बनता जा रहा है। यह स्थिति मनुष्य की कुछ गहरी जरूरतों को ही रेखांकित करती है।

फिर भी क्या कारण है कि भारत में अभी भी मानवअधिकारों की वकालत करने वालों को सरकार, जनसंचार माध्यम औरप्रायः सभी राजनीतिक दलों द्वारा सन्देह की दृष्टि से देखा जाताहै ? इस बारेमें एक साधारण धारणा यह बनायी जा सकती है, किजबसभी शक्तिशाली लोग किसी विषय पर एकमत हों, तो मानना चाहिए कि उनके इरादे संदिग्ध है।भारतमें यह खासतौर से सच प्रतीत होताहै।भारत का शक्तिशाली वर्गकागजोंपर या भाषणोंमेंमानव–अधिकारों के प्रति चाहे जिनती प्रतिबद्धता जाहिर करे, वास्तिक जीवन में यह प्रतिबद्धता बहुत कम दिखाईदेतीहै। ऐसे माहौल में मानव अधिकारवादी सहज ही सामाजिक कौतुक का विषय बन जाताहै।वहतबचिढ़ और क्रोध का और भी विषय बनताहै, जब वह पुलिस हिरासत में मौत, कैदियों के साथ दुर्व्यवहार और आंतकवाद से मुठभेड़ के नाम पर की जाने वाली हिंसाऔर दमन का विरोध करताहै।अपराधी या अभियुक्तकोभीसहानुभूति की नजर से देखा जासकताहै या देखा जानाचाहिए तथासेनाऔरपुलिसकोक्रुर, निर्दय औरअराजकनहींहोनाचाहिए– यह विचारतीसरीदुनियाँ मेंअभीलोकप्रिय नहींहोपायाहै।हाँ आन्दोलनकारियों के साथ की जानेवालीसरकारीहिंसा के प्रतिअसंतोष जरूर बन हुआहै। ऐसाप्रतीतहोताहैकितीसरीदुनियाँ मेंमानवअधिकारों का आन्दोलनतभीव्यापकहोसकेगा, जबमानवअधिकारों की वकालतकरनेवालेलोगसिर्फ दमन औरअत्याचार के खिलाफहीआवाजनहींउठायेंगे, बल्किवंचितलोगों के आर्थिक, राजनीतिकतथासामाजिकअधिकारों की भीलड़ाईलड़ेंगें।

मानवअधिकारों का जन्म पृथ्वी पर मनुष्य के विकास के साथहीहुआ, क्योंकिइनअधिकारों के बिनावह न तोगरिमा के साथजीवनयापनकरसकताथाओर न सभ्यतातथासंस्कृति का विकासकरसकताथा, लेकिन इसके साथही मानवअधिकारों के दमन का सिलसिलाभी शुरू होगया, क्योंकि शक्तिशालीव्यक्ति या समूहदूसरों का शोषणकरकेहीअपनावर्चस्वबनाये रख सकतेथे।पिछले पाँच हजार सालो में एक तरफ इस वर्चस्व का रूपबदलतारहाहैकिमानवअधिकारोंकोठीक–ठीकपरिभाषितकियाजाए तथाउनकीसुरक्षा के उपाय भीकियेजाएँ। साथ ही मानवसमाज की व्यवस्थामेंजटिलता के नये–नयेतत्वलगातारआतेजाने से मानवअधिकारों के नये–नये रूप भी सामने आने लगे। 25 सितम्बर, 1926 के पूर्वमानवअधिकारों का मामला मुख्यतः राष्ट्रीय विषय रहा,

Copyright © 2020Authors

लेकिनउसकेबाद यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय होगयाऔरतब से मानव अधिकारों को समझने तथा उनके प्रतिविश्व–प्रतिबद्धता की घोषणा करने का सिलसिला आज तक जारीहै।

मानवअधिकारों के बारेमेंव्यवस्थित रूप से सोचने और उन्हे संगठित रूपदेने का पहला अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास 25 सितम्बर, 1926 कोदासता के विरूद्ध हुए विश्व–सम्मेलन के रू मेंसमानेआया।लगभगचारवर्षबाद 28 जून, 1930 कोबालात्–श्रम परसम्मेलनहुआ। 18 साल के लम्बे अंतराल के बादमानवअधिकारों के बादमानवअधिकारों की पहलीसुव्यवस्थित घोषणा 10 दिसम्बर, 1948 कोसामनेआयी।संयुक्तराष्ट्र संघ द्वारा की गयी यह घोषणा ''मानवअधिकारों की विश्व घोषणा'' कहलातीहै।फिरतो यह सिलसिलाकभीनहीं रूका।आज स्त्री अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारआदिअनेकविषयोंपरदुनियाँ भरमेंचर्चाहोरहीहै। यहाँ प्रस्तुतहैसंयुक्तराष्ट्र संघ के तत्वावधान में सदस्य राष्ट्रों द्वारामान्य एवं स्वीकृत मानवअधिकारों की एक संक्षिप्त सूची। यहाँ ''मानवअधिकारों की विश्व घोषणा'' कोछोड़ कर, शेषसभीप्रसंविदाओंऔरसम्मेलनों द्वारास्वीकृत घोषणा–पत्रों के कुछअंशहीलिए जासकतेहै।

10 दिसम्बरकोपूरीदुनियाँ मेंमानवाधिकारदिवसमनायाजाताहै। 10 दिसम्बर, 1948 की रातहीसंयुक्तराष्ट्र महासभा के बिनाकिसीअसहमतिवोट के मानवाधिकारों के विश्व–घोषणा–पत्र कोअंगीकृत एवं घोषितकिया।

मानवाधिकार की अवधारणा–मानवाधिकारों की अवधारणाइतिहास की लम्बीअवधि मेंविकसितहुई। यह अवधारणा सत्ता के स्वेच्छाचारी हस्तेमानकोरोकने के उपकरण के रूपमेंविकसितहुई।आरम्भमें यह राज्यों के भीतरहीलागूहातीथी, अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर इस लागूकरने की व्यवस्थानहींथी।राज्यों के भीतरभी यह उच्चवर्गों के अधिकारों तक सीमित लगती थी।वर्ग और नस्ल का ख्याल किये बिना सभी मनुष्यों के अधिकारों के रूपमें इस अवधारणा के विकसितहोनेमेंलम्बा समय लगा। 13वीं सदी का प्रसिद्ध मैग्नाकार्टाराजाऔरसामन्तशाही के बीच का एक समझौताथा।हालांकि इसमें कुछ ऐसी धाराएँ भी थी, जोआमलोगों के लिए भीलागूहोतीथी, परइसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के सामन्तों के अधिकारों एवंविशेषधिकारों की रक्षा करनाथा।मानवाधिकारों की इससेअधिकविस्तृतअवधारणाब्रिटिशक्रांतिककारियों ने पेश की, जब 1689 मेंराजाकोपदच्युतकरनेतथाउसेमौत के घाटउतारने के बिलऑफराइट्स (अधिकार–पत्र) मेंउन्होंनेसभीनागरिकों के न्यूनतमअधिकारों का वर्णनकिया।लगभग एक सदींबाद 1776 मेंअमेरिकीक्रांतिकारियों ने ब्रिटिशराजा की दासता से ''अहरणीय'' मानवाधिकारोंको शामिलकिया।इनमें ''जीवन, स्वतन्त्रताऔर खुशी की तलाश'' के अधिकार शामिलथे।इसकेकुछही समय उपरान्तफांसीसीक्रान्तिकारियों ने राजा का हटानेऔरउसेमौत के घाटउतारने के बादमनुष्य के अधिकारों का घोषणा–पत्र तैयारकिया।इसमेंउन्होंने घोषित किया किमनुष्य स्वतन्त्र जन्मलेतेऔररहतेहैं, उनके अधिकार बराबर हैं तथा किसी राजनीतिक संघ का उद्देश्य ''स्वतन्त्रता, सम्मत्ति, सुरक्षा और दमन के विरोध'' के मानवाधिकारों की पुष्टिहै। इस प्रकार मानवाधिकारों की अवधारणा हमेशा ही क्रान्तिकारी अवधारणा रही है।

इस अवधारणामें एक नया आयाम तब जुड़ा जब धीरे–धीरे और कुछअन्तरालोंपर यह मालूमकियाजानेलगाकिमानवाधिकारों की रक्षा सिर्फ उन राज्यों की चिन्ताका विषय नहींहै, यहाँ इनकाउल्लंघनहोताहै, बल्किपूरीदुनियाँ मेंमानवाधिकारों के संरक्षणऔरप्रोत्साहनकोसुनिश्चतकरनासमूचीमानवता की चिन्ता का विषय हैऔरसंचार के विकास के साथदुनियाँ के सिकुड़ने का परिणामहै।इसकेनिहितार्थोंकोसभीपूरीतरह समझा नहींगयाहै।

 Copyright © 2020Authors

व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास की सबसेस्पष्टमिसालसंभवतः दास–प्रथा की समाप्ति के लिए आन्दोलनमेंमिलतीहै।दास–व्यापार की समाप्ति (दास–प्रथा की समाप्ति से अलग है) जिसकेउपाय कईदेशों ने किये।इसकाआरम्भउन्नीसवींसदीमेंब्रिटेन, डेनमार्कऔरफ्राँस ने किया।बादमें 1833 मेंसभीब्रिटिश क्षेत्रोंमेंदास–प्रथा की समाप्ति के लिए ब्रिटिशसंसद ने एक विधेयकपारितकिया।इसकेबाद ऐसेहीउपाय अन्य देशों में किये गये और दास–व्यापार की समाप्ति के लिए अन्तराष्ट्रीय समझौतेहुए।राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशन्स) के तत्वाधानमेंमानवाधिकारों की रक्षा एवंइन्हें बढ़ावादेने के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासकईगुना बढ़ गये।प्रथमविश्व युद्ध की समाप्ति पर जबराष्ट्र संघ की स्थापनाहुई, तबआरम्भमेंमानवाधिकारों का अर्थ समझा जाताथा, "व्यक्ति की स्वतन्त्रतापर से प्रतिबन्धोंकोहटाना, मानवाधिकारों के समर्थकअल्पतमराज्य चाहतेथे– एक ऐसाराज्य जोकानून–व्यवस्थाकोबनाये रखनाअपना मुख्य कर्त्तव्य माने और जो मानमानीगिरफ्तारी, मनमानीतलाशी और सम्पत्ति की जब्ती तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रतासंगठन की स्वतन्त्रता एवं धार्मिकआस्था की स्वतन्त्रतापरमनमाना प्रतिबन्ध लगाने से बाजआये।बहरहाल, आमूलपरिवर्तनवादीविचारों के प्रभाव से मानवाधिकारों की अवधारणामेंकईसकारात्मकमानवीय आवश्यकताएँ शामिलहोनेलगीं, जिन्हेंकभी–कभीगरीबी से मुक्ति, असुरक्षा से मुक्तिऔरअज्ञान से मुक्तिसकारात्मकअधिकारथे, मसलनन्यूनतमशिक्षा, लाभदायकरोजगार, बेराजगारी से सुरक्षा औरचिकित्सापाने के अधिकारराज्य उचितकदमकठाकरइनअधिकारोंकोसुरक्षितकरसकताहै।

मानवाधिकारों की रक्षा औरइन्हेंआगे बढ़ाने की दृष्टि से राष्ट्र संघ ने बहूमूल्य कार्यकिये।राष्ट्रसंघ ने स्त्रियों का व्यापाररोकनेविवाह की आयु बढ़ानेविभिन्नदेशोंमेंबालकल्याणकोसुनिश्चितकरनेतथाहजारों शरणार्थियों के पुनर्वास के कदमउठाए, लेकिनमानवाधिकारोंकोआगे बढ़ाने की दृष्टि से राष्ट्रसंघ का मुख्य कार्यअन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जरियेहुआ।जोलोगदोनोंविश्व युद्धों के बीचभारतीय मजदूरआन्दोलन से जुड़े थे, वेकाम के घण्टेसीमितकरने, कारखाने से सुरक्षा एवंस्वास्थ्य की स्थितियाँ सुनिश्चितकरने, सीमितकरने, कारखानों से सुरक्षा एवंस्वास्थ्य की स्थितियाँ मुहैयाकरानेतथाआमतौरपरमजदूरों के बारेमेंउदारसहकारीनीतियोंकोआगे बढानेमेंअन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बहुमूल्य कार्योकोजानतेहै।

दोनोंविश्व युद्धों के बीच के कालमेंइटलीऔरजर्मनीमेंफासिस्टवाद के उभार से लोकतन्त्र एवंनिजीस्वतन्त्रता का गम्भीर खतरापैदाहुआ।फासिस्टवादीदेशों के उग्रराष्ट्रवाद ने अपनेदेशमेंमानवाधिकारों का नष्टकरदियाऔरविदेशोंमेंभीइन्हेंनष्टकरने का खतरापैदाकरदिया।इसकेपरिणामस्वरूपमित्र देशों एवंफासिस्टवादी शक्तियों के बीचहुआसशस्त्र संघर्षहुआजोअनिवार्य रूप से फासिस्टवादविरोधी युद्ध था। यह स्वन्त्रता एवंलोकतन्त्र की रक्षा के लिए युद्ध था। युद्ध मेंफासिस्टवादीताकतों की हार का परिणामअन्तर्रान्ट्रीय स्तरपरसामाजिकक्रान्ति के रूपमेंहोनाअपरिहार्यथा।वास्तवमें 1945 मेंफासिस्टवाद की हार से जोक्रान्तिआयी, वहविश्वक्रान्तिथी–इसकादायराऔरमहत्वफ्राँसीसीतथा रूसीक्रान्तियों से अधिकबड़ाथा। युद्ध के बादविश्व के अधिकांशभागोंमेंसाम्राज्यवादऔरउपनिवेशवाद का खात्माहोगयातथा एशिया एवंअफ्रीका के बहुत से अविकसितदेशोंकोआजदीमिली। इस रूपमेंइतिहास ने फासिस्टवादविरोधी शक्तियों के युद्ध प्रयासों का समर्थनकरनेवालेलोगोंकोअसलीक्रान्तिकारीतथास्वतन्त्रता एवंलोकतन्त्र का वास्तविकसेनानीसाबितकियाहै।

युद्ध के फासिस्टवाद–विरोधीचरित्र को देखतेहुए मानवाधिकारों की रक्षा तथाइन्हेंआगे बढ़ानामित्र–शक्तियों का मुख्य युद्ध–उद्देश्य होनास्वाभाविकथा।जनवरी 1941 मेंराष्ट्रपति रूजवेल्ट ने घोषणा की कि "दुनियाँ मेंहरजगह" चारस्वतन्त्रताओंभाषण की स्वतन्त्रता, उपासना की स्वतन्त्रता, अभाव से

Copyright © 2020Authors

स्वतन्त्रतातथाभय से स्वतन्त्रता का होना शान्ति की आवश्यक शर्तहै।उसीसालबादमें रूजवेल्टऔरचर्चित ने अटलांटिक घोषणा–पत्र मेंइसी युद्ध–उदेश्य की घोषणाकी। 1944 मेंचारबड़ी शक्तियो–अमेरिका, ग्रेटब्रिटेन, सोवियतसंघऔरचीन ने डुम्बार्टनओक्स के प्रस्तावों से सहमतिजतायी, जिसमेंसंयुक्तराष्ट्र के गठन का सपनादेशागयाथांउन्होंनेफैसलाकियाकि इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का एक उद्देश्य मानवाधिकारों के समानतथामौलिकस्वतन्त्रताओंको बढ़ावादेनाहोगा।

युद्ध के बादसेनफ्रांसिस्कोसम्मेलनमेंसंयुक्तराष्ट्र घोषणा–पत्र कोअंगीकारकियागया।इसमेंमानवाधिकारोंऔरस्वतन्त्रताओंको बढ़ावादेने के उद्देश्य कोप्रमुखतादीगई। इस घोषणा–पत्र की प्रस्तावनामें घोषितकियागया ''हमेंबुनियादीमानवाधिकारों, व्यक्तियों की गरिमा एवंमूल्यों, बड़ेऔरछोटेसभीराष्ट्रों के पुरूषों एवंस्त्रियों के समानअधिकारों की पुनः पुष्टि के लिए कृतसंकल्पसंयुक्तराष्ट्र में शामिलदेशों के लोगइन लक्ष्योंकोप्राप्तकरने के लिए मिलकरप्रयासकरने का संकल्पकरतेहै।'' घोषणा–पत्र की पहली धारामेंहीसंयुक्तराष्ट्र के घोषितउद्देश्योंमेंप्रमुख मानवाधिकारों के लिए समानबढ़ानेतथाप्रोत्साहितकरने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगतैयारकरनाबतायागयाहै।इसकेअन्य उद्देश्य है, आन्तरिक शान्तिकायम रखनाऔरराष्ट्रों के बीचमित्रतापूर्णरिश्तों का विकास। घोषणा–पत्र की धारा 68 मेंकईआयोगों के गठन का प्रावधानहै, जिनमें एक मानवाधिकारोंकोआगे बढ़ाने के लिए भीहै।

इसकेअनुरूप 1946 मे श्रीमती एलीनर रूजवेल्ट की अध्यक्षतामेंविधिवृतमानवाधिकारआयोगबना।पूर्वऔरपश्चिममें बढ़ने तनाव के बावजूदआयोग ने कामजारी रखा औरमानवाधिकार घोषणा–पत्र का प्रारूपतैयारकिया। इस प्रारूपकोसितम्बर, 1948 मेंसंयुक्तराष्ट्र महासभाकोसौपागया।प्रारूपमेंकुछसंशोधनों के बादमहासभा ने उसीवर्ष 10 दिसम्बरकोमावाधिकारों के विश्व–घोषणा–पत्र कोअंगीकारकरलिया।किसी ने इससेअसहमतिनहींजतायी।हालाँकिसाम्यवादी खेमे के देशों, सऊदीअरबऔरदक्षिणअफ्रिका ने मतदानमेंभागनहींलिया।

मानवाधिकार का विश्वघोषणाप्रारूप–महासभा द्वारा एक ऐसेप्रतिमान के रूपमेंग्रहणकियागया, जिसेसभीलोगोंऔरसभीराष्ट्रों के बीचहासिलकियाजानाथा।आरम्भमें इस घोषणा–पत्र के व्यावहारिकमहत्वकोलेकरगम्भीर शंकाप्रकट की गई। शंकाजतानेवालोंमेंवेथे, जोमानवाधिकारों के बुनियादीमहत्वकोस्वीकारकरतेथे।पिछलेदशकों के अनुभवों से ये शंकाअवश्य दूरहोगईहोगी।महासभाऔरसंयुक्तराष्ट्र के दूसरेअंगो ने बार–बार घोषणा–पत्र मेंनिहितसिद्धान्तोंकोलागूकियाहैऔरउसकेअनुरूपकाईवाई की है।प्रतिस्पर्थी ''घरेलू क्षेत्राधिकार'' का सिद्धान्तमहासभाको उन मामलोंमेंहस्तक्षेपकरने या हस्तक्षेप का प्रयासकरने के रोकनहींसकेहै, जहाँ मानवाधिकारों का खुल्लमखुल्लाउल्लंघनहुआहै।महसभा ने दक्षिणअफ्रीकामेंरंगभेद की नीति के प्रतिजो रूख अपनाया, वह इस बात की अच्छीमिसालहै।

अततक घोषणा–पत्र कोव्यावहारिकसत्ता–प्राप्तिहोचुकीहै, जिससेकुछलोग यह विश्वासकरनेलगेहैकि यह लगभगअन्तर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन चुकाहै।संयुक्तराष्ट्र द्वारा घोषणा–पत्र कोअंगीकारकरनेपर टिप्पणी करतेहुए प्रो. जोन.पी. हम्फ्रे ने (इवान लुआईसंपादित ''द इंटरनेशनलप्रोटेक्शनऑफह्यूमनराइट्स'' में) लिखा, ''हमारे समय के चिन्तनपरसंयुक्तराष्ट्र के किसीअन्य कानून का इतनाप्रभावनहींपड़ा।इसमेंसर्वोत्तमअकाँक्षाएँ निहित एवं घोषितहै।संभवहैकि यह इतिहासमें मुख्य

 Copyright © 2020Authors

रूपमेंमहाननैतिकसिद्धान्तों के वक्तव्य के रूप मेंजीवितरहे।किसीभीअन्य राजनीतिकदस्तावेज या कानूनीउपकरण की तुलनामेंइसकाप्रभावअधिकागहरार एवंस्थायीहै।''

घोषणा–पत्र कोजोभीराजनीतिकऔरकानूनी शक्तिप्राप्तहुईहै, व इसकीनैतिक–सत्ता से निकलीहैऔरइसकीनैतिक–सत्ताअन्तर्राष्ट्रीय जनमत के समर्थन से उपजीहै।अन्तिमविश्लेषणमेंकहाजासकताहैकि घोषणा–पत्र मेंनिहितमानवाधिकारोंकोप्रोत्साहितकरने का रास्ताइसकेसमर्थनमेंअधिक से अधिकजनमतबनानाहीहै।

भारतमेंआवश्यक मानवाधिकारोंकोसंविधान के मौलिकअधिकारों एवंराज्य के नीतिनिर्देशकसिद्धान्तोंवालेहिस्सोंमें शामिलकियागयाहै। ये अधिकारआजचरमदक्षिणपंथियों के हमले का निशानाहै।लोकतन्त्र समर्थकोंऔरमानवतावादियों के लिए आजभारतमेंमानवाधिकार–दिवसमनाने का सर्वोत्तमतरीका यहीहैकिवेलोगोंकोमौलिकअधिकारोंऔरनीतिनिर्देशकतत्वोंको समझाएँ और उन पर अमल के लिए समर्थनजुटाएँ।

मानवतावादियोंकोअपनेकार्यमें खास रूचिलेनीचाहिए।उनकादर्शन इस उक्तिपरआधारितहैकि ''मनुष्य हीसभीचीजों की कसौटीहै।'' वेमानतेहैंकिव्यक्ति की स्वतन्त्रताऔरविकाससामाजिकप्रगति की कसौटीहै।उनकाआदर्शमनुष्य के सन्दर्भमेंही समझा जासकताहै, संस्थाओं के सन्दर्भमेंनहीं। चाहे ये संस्थाएँ राजनीतिकहों या आर्थिक, सिर्फ उन मामलोंकोछोड़करजहाँ संस्थाएँ व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवंप्रगतिकोसुनिश्चितकरतीहैं, अतः मानवाधिकारों का संरक्षण एवंप्रोत्साहनसभीमानवतावादियों का प्रमुख कार्यहै।

मानवाधिकार की विश्व–घोषणापत्र –वैश्विकस्तरपरमानवों के कल्याणहेतुविश्वमानवाधिकारआयोग ने निम्नलिखितबिन्दूओं का समावेशअपनेविश्व घोषणा–पत्र मेंकियाहै–

1. सभीमानव प्राणी जन्म से हीस्वतन्त्र तथागरिमाऔरअधिकारोंमेंबराबरहै।उनमेंविचार शक्तितथाअवचेतनाहोतीहैऔरउन्हें एक–दूसरें के साथभाईचारे की भावना से कामकरनाचाहिए।
2. इस घोषणामें शामिलसभीअधिकारोंऔरस्वतन्त्रताओं का हकहरकिसीनस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिकमूल, सम्पति, जन्म या हैसिलत का अन्य कोईआधारजैसेकिसीभीतरह के भेदभाव के बगैरहै।
3. प्रत्येकव्यक्तिको जीने का , स्वतन्त्रता का औरव्यक्तिगतसुरक्षा का अधिकारहै।
4. किसीकोगुलाम या बेगार के रूपमेंनहीं रखा जाएगा, गुलामीऔरबेगारीप्रथा के सभी रूपोंकोप्रतिबंधितकियाजाएगा।
5. किसी के साथअत्याचार या निर्दयताअथवाक्रूर, अमानवीय या गरिमाहीनव्यवहार नही कियाजाएगा, न इस तरह की सजाकिसीकोदीजाएगी।
6. प्रत्येकव्यक्तिकोकानून के समक्ष हरकहींव्यक्ति के रूपमेंमान्वता का अधिकारहै।
7. कानून के सम्मुख सभीबराबरहैंऔरसभीकोबिनाकिसीभेदभाव के कानून के समानसंरक्षण का अधिकारहै।
8. कानून या संविधान का प्रदत्तमौलिकअधिकारों के उल्लंघनपरहर एक को सक्षमराष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वाराप्रभावीउपचार का अधिकारहै।

Copyright © 2020Authors

9. किसीकोभीनिरंकुशढंग से न गिरफ्तारकियाजाएगा, न हिरासतमेंलिय जाएगाऔर न निर्वासितकियाजाएगा।
10. प्रत्येकव्यक्तिकोअपनेअधिकारोंऔरदायित्वों के निर्धारणमेंऔरअपने खिलाफकिसीभीप्रकार के आपराधिकआरोपपर एक स्वतन्त्र औरनिष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारान्यायपूर्णसार्वजनकिसुनवाई का पूरीतरहसमानअधिकारहै।
11. 1 प्रत्येकव्यक्तिकोकिसीदण्डअपराध के आरोपमेंतबतकनिर्दोषमानेजाने का अधिकारहै, जबतक उस पर ऐसेकिसीसार्वजनिकमुकदमेंमेंकानून के तहतअपराध साबित न होजाए, जिसमेंउसेअपनेबचाव के लिए सभीआवश्यक गारंटियाँ हों।
12. किसीभीव्यक्ति की एकान्तता (प्राइवेसी), परिवार, घर या पत्राचारमेंमनमाना दखलनहींदियाजाएगा, न हीउसकीप्रतिष्ठाऔरसम्मानकोचोटपहुँचाईजाएगी। ऐसेकिसी दखल या आक्रमण के खिलाफहर एक कोकानून का संरक्षणपाने का अधिकारहै।
13. प्रत्येकव्यक्तिकोराज्य की सीमाओं के भीतरनिवासकरने का और घूमने–फिरने की स्वतन्त्रता का अधिकारहै।
14. प्रत्येकव्यक्तिकोउत्पीड़न से बचने के लिए दूसरेदेशोंमें शरणचाहनेऔरउसकाउपभोगकरने का अधिकारहै।
15. किसीकोभीमनमानेतरीके से न तोउसकीराष्ट्रीयता से वंचितकियाजाएगाऔर न हीअपनीराष्ट्रीयताबदलने के अधिकार से वंचितकियाजाएगा।
16. 1 पूर्णउम्र के पुरूषोंऔरस्त्रियोंकोनस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता की किसीसीमा से बाधितहुए विवाहकरनेऔरपरिवारबसाने का अधिकारहै।विवाह से पूर्व, विवाह के दौरानऔरविवाहविच्छेद के बादउन्हेंसमानअधिकारहोगा।
17. किसीकोमनमानेतरीके से उसकीसम्पति से वंचितनहींकियाजाएगा।
18. हर एक कोविचारों, अन्तश्चेतनाऔर धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकारहै, इस अधिकारमेंअपना धर्मऔरआस्थाबदलने की स्वतन्त्रता शामिलहैऔरअकेले या अन्यों के साथसार्वजजिक रूप से या एकान्तमेंअपने धर्म या आस्थाकोशिक्षा, प्रथा, पुजाऔरपरिपालनमेंअभिव्यक्तकरने की स्वतन्त्रता शामिलहै।
19. हर एक कोअपनामत रखनेऔरउसकीअभिव्यक्तिकरने की स्वतन्त्रता का अधिकरहै। इस अधिकारमेंबिना दखल के अपनामत रखने या किसीभीमाध्यम के जरियेऔरसीमाओं से परेसूचनाएँ औरविचारचाहने, ग्रहणकरनेतथाप्रदानकरने का अधिकार शामिलहै।
20. प्रत्येकव्यक्तिको, प्रत्यक्ष रूप से अथवास्वतन्त्रतापूर्वकचुनेगयेप्रतिनिधियों के जरिये, अपनेदेश की सरकारमेंहिस्सालेने का अधिकारहै।
21. सरकार की शक्ति का आधारजनइच्छाहोगी। यह इच्छा समय समय परहोनेवालेईमानदारचुनावोंमेंअभिव्यक्त की जाएगी, जोसमानऔरबालिगमताधिकार के आधारपरहोगेंतथागुप्तमतदान या ऐसेहीकिसीस्वतन्त्र मतदानप्रक्रिया द्वाराकरायेजायेंगे।
22. समाज का सदस्य होने क नातेप्रत्येकव्यक्तिकोसामाजिकसुरक्षा का अधिकारहै।उसेअपनेराज्य के संसाधनोंऔरसंगठनों के अनुसारतथाराष्ट्रीय प्रयास एवंअन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के जरियेअपनीगरिमातथाअपनेस्वतन्त्र विकास के लिए अनिवार्यआर्थिक, सामाजिकऔरसांस्कृतिकअधिकारोंकोसाकारकरने का हकहै।

 Copyright © 2020Authors

23. प्रत्येकव्यक्तिकोकामकरने का, रोजगार के स्वतन्त्र चुनाव का, काम की उचितऔरअनुकुलस्थितियों का तथाबेरोजगारी के खिलाफसंरक्षणप्राप्ति का अधिकारहै।
24. प्रत्येकव्यक्तिकोअपनेहितों के संरक्षण के लिए श्रमिकसंगठनबनानेऔरउसमें शामिलहोने का अधिकारहै।
25. हर एक कोकार्य के घण्टोंउचितसीमाऔरसवेतननियतकालीनअवकाशसहितआरामऔरफुरसतपाने का अधिकारहै।
26. मातृव्य और शैशवास्थामेंविशेषदेशभालऔरसहायतापाने का अधिकारीहै।सभीबच्चोंको चाहे वेवैध हों या अवैध, एक जैसासामाजिकसरंक्षणदियाजाएगा।
27. शिक्षा का लक्ष्य मानव–व्यक्तित्व का पूर्णविकासऔरमानवअधिकारोंतथाबुनियादीस्वतन्त्रताओं के सम्मानकोमजबूतीदेनाहोगा। यह सभीदेशोंतथानस्लीय और धार्मिकसमूहों के बीच समझ, सहिष्णुताऔरमैत्री को बढ़ावादेगीऔर शन्तिबरकरार रखने के लिए संयुक्तराष्ट्र संघ की गतिविधियोंकोआगे बढ़ाएगी।
28. माता–पिताको यह चुनने का प्राथमिकअधिकारहोगाकिवेअपनेबच्चोंकोकिसतरह की शिक्षा दिलालाचाहतेहै।
29. अपनेअधिकारोंऔरस्वतन्त्रता के इस्तेमालमेंकिसीभीव्यक्तिपरकानून द्वारनिर्धारितहदेंहीलगायीजाएंगी, जिनमेंअन्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रताओंऔरअधिकारों की उचितमान्यतातथासम्मान का उद्देश्य पूराहोसकेऔर एक लोकतान्त्रिक समाजमेंनैतिकता, जन–व्यवस्थाऔरसामान्य कल्याण की उचितआवश्यकताएँ पूरीहों।
30. इस घोषणा की किसीभीबात की ऐसीव्याख्या नहीं की जासकती, जिसकाअर्थ यह निकलताहोकिकिसीराज्य, समूह या व्यक्तिको इस घोषणामेंनिहितकिसीभीअधिकार या स्वतन्त्रताकोनष्टकरने के उद्देश्य से किसीगतिविधि मेंभागलेने या कोईकामकरने का अधिकारहै।

निष्कर्ष :–इस प्रकारसारांशतः कहाजासकताहैकिमानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए बनायेगयेमानवाधिकारआयोग की अवधारणातथाअर्न्तराष्ट्रीय स्तरपरउनकास्वरूपमानवहितैषीहै।इसमेंप्रत्येकवर्गऔरलिंग के मानवाधिकारों की रक्षा करनेहेतुवैश्विकप्रतिबद्धता की घोषणा की गईहै।अर्थातसमूचीदूनियाँ मेंमानव के अधिकारों के संरक्षणऔरप्रोत्साहनकोसुनिश्चितकरनातथामानवता की चिन्ताकरनासमस्तराष्ट्रों का कर्त्तव्य है, तभीवैश्विकमानवकल्याण की बातोंकोअमलीजामापहनायाजासकेंगा।

सन्दर्भ

1. जोशी, मोतीलाल : मानवाधिकारऔरशिक्षा, मायाप्रकाशनमंदिर, उदयसिंह की हवेली, त्रिपोलियाबाजार, जयपुर–(2004)
2. पाण्डेय, रामसकल एवंमिश्र करूणाशंकर :मानवाधिकारऔरमूल्य शिक्षण, विनोदपुस्तकमंदिर, आगरा–(2009)
3. झा, उमारमण :भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता, उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थान, लखनऊ– (2002)
4. अवस्थी, अरमेश्वर एवंरामकुमार :आधुनिकभारतीय सामाजिक एवंराजनीतिकचिन्तन, प्रकाशनविभाग, सूचनाऔरप्रसारणमंत्रालय, भारतसरकार, दिल्ली–(1961)

 Copyright © 2020Authors

5. सिंह, गुरूबख्श :कमेन्ट्रीऑनमानवअधिकारसंरक्षण, दिल्ली–(1993)

 Copyright ⓒ 2020Authors